



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 2 फरवरी, 2010

माघ 13, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार अनुभाग-1

संख्या 239/80-1-2010-600(287)/81

लखनऊ, 2 फरवरी, 2010

अधिसूचना

प० आ०-50

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1964) की धारा 26 "भ" के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली, 1984 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान)

(छठवां संशोधन) विनियमावली, 2010

1-(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) (छठवां संशोधन) विनियमावली, 2010 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम-4 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिनियम) विनियमावली 1984 में, विनियम-4 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपविनियम-(1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक

विद्यमान उप विनियम

4-(1) अधिकारियों और कर्मचारियों की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या और वेतनमान ऐसे होंगे, जैसे परिषद द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाये।

स्तम्भ-दो

एतद्वारा प्रतिस्थापित उप विनियम

4-(1) अधिकारियों और कर्मचारियों की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या और वेतनमान ऐसे होंगे, जैसे परिषद द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायें:

किन्तु वेतनमान ऐसे होंगे, जैसे समय-समय पर वेतन आयोग द्वारा संस्तुत और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें।

आज्ञा से

राजेश कुमार सिंह,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 239/LXXX-1-2010-600(287)/81, dated February 2, 2010:

No. 239/LXXX-1-2010-600(287)/81

Dated Lucknow, February 2, 2010

IN exercise of the powers under section 26-X of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no XXV of 1964), the State Agricultural Produce Markets Board with the previous approval of the State Government makes the following regulation with a view to amending the Uttar Pradesh Agricultural Produce Markets Board (Officers and Staff Establishment) Regulations, 1984.

THE UTTAR PRADESH AGRICULTURAL PRODUCE, MARKETS BOARD

(OFFICERS AND STAFF ESTABLISHMENT) (SIXTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2010

Short title and
commencement

1. (1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Agricultural Produce Markets Board (Officers and Staff Establishment) (Sixth Amendment) Regulation, 2010.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.